

सवाल नम्बर- 140
शीट- 03
फ्रीस- 7-00
शब्द- 423

न्यायालय उप जिलाधिकारी भानपुर, जनपद-बस्ती।

नम्बर मुकदमा- 780/917/4080027।

धारा- 80 उपद्रोहान्त्य संहिता 2006

रज. सी. रम. एलवल्ली ग्र. सि. बनाम रसकार

मौजा- सिनिच भुक्च , तप्पा बिवपुर

तहसील-भानपुर, जिला-बस्ती।

तारीख पेशी / तारीख फैसला:- 03-4-19

नकल- उपद्रा पिनॉक 03-4-19 की टापा जति भुक्च से संलग्न।



9/200
05-4-19



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : बस्ती, जनपद : बस्ती, तहसील : भानपुर

वाद संख्या :- 00271/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201917140200271

एन०सी०एम०एल० बस्ती प्रा०लि० बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

**ग्राम टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती।
निर्णय**

प्रस्तुत वाद एन०सी०एम०एल० बस्ती प्रा०लि० द्वारा सुनील चौंसिया प्रोजेक्ट मैनेजर निवासी/पता पंजीकृत कार्यालय इपको टावर-1 विंग बी० पांचवी मंजिल प्लाट संख्या-3 सेक्टर नम्बर-29 गुडगांव हरियाणा द्वारा अपनी भूमिधारी आराजी खाता संख्या-307 रकबा 0.560हे० के गाटा संख्या-4मि०/0.233हे०, व खाता संख्या-73 रकबा 0.442हे० के गाटा संख्या-5मि०/0.180हे०, खाता संख्या-309 रकबा 0.426हे० के गाटा संख्या-6मि०/0.173हे०, खाता संख्या-25 रकबा 0.411हे० के गाटा संख्या-11मि०/0.275हे०, खाता संख्या-221 रकबा 1.051हे० के गाटा संख्या-28मि०/0.276हे०, खाता संख्या-423 रकबा 0.553हे० के गाटा संख्या-29मि०/0.135हे०, खाता संख्या-142 रकबा 1.160हे० के गाटा संख्या-60मि०/0.420हे०, खाता संख्या-198 रकबा 1.160हे० के गाटा संख्या-63मि०/0.650हे०, खाता संख्या-389 रकबा 0.549हे० के गाटा संख्या-82मि०/0.355हे०, खाता संख्या-278 रकबा 0.158हे० के गाटा संख्या-13मि०/0.096हे० कुल रकबा 2.793हे० स्थित ग्राम टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती की अकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किये जाने का अनुरोध करते हुए उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-80 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण की जांच तहसीलदार भानपुर से करायी गयी। पन्नावली में सलग्न तहसीलदार भानपुर की आख्या दिनांक 21.02.2019 संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है तथा मेरे द्वारा पन्नावली का अवलोकन एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के खाता संख्या-307 रकबा 0.560हे० गाटा संख्या-4मि०/0.233हे०, व खाता संख्या-73 रकबा 0.442हे० के गाटा संख्या-5मि०/0.180हे०, खाता संख्या-309 रकबा 0.426हे० के गाटा संख्या-6मि०/0.173हे०, खाता संख्या-25 रकबा 0.411हे० के गाटा संख्या-11मि०/0.275हे०, खाता संख्या-221 रकबा 1.051हे० के गाटा संख्या-28मि०/0.276हे०, खाता संख्या-423 0.553हे० के गाटा संख्या-29मि०/0.135हे०, खाता संख्या-142 रकबा 1.160हे० के गाटा संख्या-60मि०/0.420हे०, खाता संख्या-198 रकबा 1.160हे० के गाटा संख्या-82मि०/0.355हे०, खाता संख्या-278 0.650हे०, खाता संख्या-389 रकबा 0.549हे० के गाटा संख्या-82मि०/0.355हे०, खाता संख्या-278 रकबा 0.158हे० के गाटा संख्या-13मि०/0.096हे० कुल रकबा 2.793हे० भूमि पर वादी द्वारा भारत सरकार के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम(F.C.I.) का साइलोज (Silos) (आधुनिक अनाज भण्डार) का निर्माण कराया जा रहा है तथा विवादित आराजी के चारों तरफ स्टील के पिलर पर बारबिड वायरों से चाहरदीवारी का निर्माण कार्य कराया गया है, तथा कार्यालय मुख्य परिचालन प्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-T/555/216/NCML/TCH दिनांक 28.06.2017 द्वारा इस आशय का फ्रेट टर्मिनल (Freight Terminal) बनाने हेतु अनुमति पत्र दिया गया है, जिससे आधुनिक अनाज भण्डार में मालवाहक ट्रेनों का आवागमन सुचारु रूप से हो सके। वादी द्वारा विवादित आराजियात का अकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) रूप में प्रयोग में किया जा रहा है। उक्त गाटों में कुक्कुट अथवा मत्स्य पालन बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। वादी द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में फोटो संलग्न किया गया है।

वादी द्वारा आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन घोषित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक दृजेरी चालान संख्या-CG-76375 धनराशि रू० 8,93,760/-(आठ लाख तिरानबे हजार सात सौ

साठ रूपया मात्र) नियमानुसार जमा कोष में जमा किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर उपलब्ध आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न है। तहसीलदार की आख्यानुसार विवादित आराजी खाता संख्या-307 रक्बा 0.560हे0 के गाटा संख्या-4मि0/0.233हे0, व खाता संख्या-73 रक्बा 0.442हे0 के गाटा संख्या-5मि0/0.180हे0, खाता संख्या-309 रक्बा 0.526हे0 के गाटा संख्या-6मि0/0.173हे0, खाता संख्या-25 रक्बा 0.411हे0 के गाटा संख्या-11मि0/0.275हे0, खाता संख्या-221 1.051हे0 के गाटा संख्या-28मि0/0.276हे0, खाता संख्या-423 रक्बा 0.553हे0 के गाटा संख्या-29मि0/0.135हे0, खाता संख्या-142 रक्बा 1.160हे0 के गाटा संख्या-60मि0/0.420हे0, खाता संख्या-198 रक्बा 1.160हे0 के गाटा संख्या-63मि0/0.650हे0, खाता संख्या-389 रक्बा 0.549हे0 के गाटा संख्या-82मि0/0.355हे0, खाता संख्या-278 रक्बा 0.158हे0 के गाटा संख्या-13मि0/0.096हे0 कुल रक्बा 2.793हे0 पर वादी द्वारा बतौर आकृषिक(औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है, तथा शासकीय कार्य हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम(F.C.I) का साइलोज (Silos) (आधुनिक अनाज भण्डार) का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे वर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार राजस्व अभिलेख में आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के खाता संख्या-307 रक्बा 0.560हे0 गाटा संख्या-4मि0/0.233हे0, व खाता संख्या-73 रक्बा 0.442हे0 के गाटा संख्या-5मि0/0.180हे0, खाता संख्या-309 रक्बा 0.426हे0 के गाटा संख्या-6मि0/0.173हे0, खाता संख्या-25 रक्बा 0.411हे0 के गाटा संख्या-11मि0/0.275हे0, खाता संख्या-221 रक्बा 1.051हे0 के गाटा संख्या-28मि0/0.276हे0, खाता संख्या-423 रक्बा 0.553हे0 के गाटा संख्या-29मि0/0.135हे0, खाता संख्या-142 रक्बा 1.160हे0 के गाटा संख्या-60मि0/0.420हे0, खाता संख्या-198 रक्बा 1.160हे0 के गाटा संख्या-63मि0/0.650हे0, खाता संख्या-389 रक्बा 0.549हे0 के गाटा संख्या-82मि0/0.355हे0, खाता संख्या-278 रक्बा 0.158हे0 के गाटा संख्या-13मि0/0.096हे0 कुल रक्बा 2.793हे0 भूमि को वादी एन0सी0एम0एल0 बस्ती प्रा0लि0 द्वारा सुनील चौरसिया पता/निवासी पंजीकृत कार्यालय इपको टावर-1 विंग बी0 पांचवी मंजिल प्लाट संख्या-3 सेक्टर नम्बर-29 गुडगांव हरियाणा के नाम आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति उपनिबन्धक भानपुर को प्रेषित की जाय। तदनुसार परगना अमलदस्समद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दृष्टि दफतर हो।

दिनांक ०३ अप्रैल, 2019



(राजेश सिंह)
उप जिलाधिकारी,
भानपुर।

सत्य प्रतिलिपि

माल अहलमद
न्यायालय उप जिलाधिकारी
तहसील-भानपुर
०५-५-१९

कार्रवा का दिनांक ०५-५-१९
दियारी का दिनांक ०५-५-१९
खारी करते का दिनांक ०५-५-१९

प्रमाणित -
उपनिबन्धक -
०५-५-१९